

राजस्थान सरकार  
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग

क्रमांक : एफ.1(6)गृह/सम्पर्क/सचि./प्रको./2012


जयपुर, दिनांक : 16/12/2019

आदेश

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 26.08.2019 की निरन्तरता में राजस्थान जनसम्पर्क सेवा नियम-1966 के नियम-24 के अन्तर्गत जनसम्पर्क सेवा के जनसंपर्क अधिकारी के पद पर कार्यरत निम्नलिखित अधिकारियों की पदोन्नति वर्ष 2019-20 की रिक्तियों के विरुद्ध (Pay Matrix Level : L-14 में) सहायक निदेशक के पद पर विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशंषा पर नियमित चयन के पश्चात् वरिष्ठता सह योग्यता के आधार पर एतद् द्वारा की जाती है:-


क्र.सं.	पदोन्नत अधिकारी का नाम	वर्तमान पदस्थापन	श्रेणी	जन्मतिथि	रिक्ति तिथि
1.	श्री अजय कुमार	सूजसका, चूरु	सामान्य	27.07.1982	02.08.2019
2.	श्रीमती छाया चौबीसा	सूजसका, डूंगरपुर	सामान्य	27.10.1976	01.01.2020
3.	श्रीमती रचना शर्मा	सूजसका, बूंदी	सामान्य	28.07.1972	01.02.2020

विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा चयनित उक्त सभी अधिकारियों के पृथक से पदस्थापन आदेश जारी होने तक अपने नाम के सम्मुख अंकित रिक्ति की तिथि से पदोन्नति के पात्र है। सभी पदोन्नत अधिकारी अपने वर्तमान पद को अस्थाई रूप से यथा आवश्यकतानुसार क्रमोन्नत मानते हुए अपने नाम के सम्मुख अंकित तिथि को अथवा इसके पश्चात् कार्यग्रहण कर अग्रिम आदेशों तक यथावत कार्यरत रहेंगे एवं कार्यग्रहण रिपोर्ट इस विभाग को प्रेषित करेंगे। पदोन्नति का वास्तविक नकद लाभ कार्यग्रहण करने की तिथि से ही देय होगा।

  
आयुक्त  
सूचना एवं जनसंपर्क विभाग  
राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, मा.मंत्री, सूजस महोदय।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सूजस।
4. निजी सचिव, सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
5. जिला कलक्टर, चूरु/डूंगरपुर/बूंदी।
6. निजी सचिव, आयुक्त, सूजस।
7. वित्तीय सलाहकार, मुख्यालय, जयपुर।
8. अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन/सूजस) मुख्यालय, जयपुर।
9. संयुक्त निदेशक(समाचार/क्षे.प्र./पंजीयन/विज्ञापन) मुख्यालय, जयपुर।
10. एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर, मुख्यालय, जयपुर।
11. सहायक निदेशक(प्रशासन) मुख्यालय, जयपुर।
12. प्रभारी, सूचना एवं जनसम्पर्क कार्यालय, चूरु/डूंगरपुर/बूंदी।
13. संबंधित पदाधिकारी।
14. निजी संचायिका।
15. रक्षित पत्रावली।

  
संयुक्त शासन सचिव